संख्या-665/2021/आई/117715/41-1002(001)/135/2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 30 नवम्बर 2021**

विषयः- पर्यटन विभाग उ0प्र0 द्वारा विभिन्न ऐतिहासिक/ पौराणिक/धार्मिक स्थलों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमाओं के लिये प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-3144/6-1-1/(990)/2018-19 दिनांक 22 सितम्बर 2021 , पत्र सं0-3979/6-1-1/(मूर्ति निर्माण)/2021-22 दिनांक 23-10-2021 , पत्र सं0-4199/6-1-1/(44)/मु0मं0घो0 /2021-22 दिनांक 28-10-2021 एवं पत्र सं0-4200/6-1-1/(मूर्ति निर्माण)/2021-22 दिनांक 28-10-2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निम्नांकित विवरण के अनुसार प्रतिमाओं के निर्माण हेतु स्वीकृति निर्गत करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

क्रमांक	प्रतिमा का विवरण
1	जनपद प्रयागराज के श्रंगवेरपुर धाम में भगवान श्री राम एवं गुहराजा निषादराज के गले मिलते हुये 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा
2	नपद बहराईच में चितौरा झील के निकट महाराजा सुहेलदेव की अश्वारोही ब्रान्ज प्रतिमा (40 फीट) का निर्माण
3	जनपद चित्रकूट में लालापुर में बाल्मीकि आश्रम में महर्षि बाल्मीकि की बैठी हुई 12.5 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का निर्माण
4	जनपद महोबा में गोरखगिरि हिल पर 51 फीट ऊंची गुरू गोरखनाथ जी की कांस्य प्रतिमा का निर्माण

2. उक्त प्रस्ताव क्रम में पर्यटन निदेशालय द्वारा पत्र सं0-3979/6-1-1/(मूर्ति निर्माण)/2021-22 दिनांक 23-10-2021 के माध्यम ये यह भी सूचित किया गया है कि जिन परियोजनाओं के अन्तर्गत मूर्ति निर्माण के कार्यो को सम्मिलित किया गया है उनमें मूर्ति की लागत सम्मिलित नहीं है। साथ ही सचिव राज्य ललित कला अकादमी उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-769/चार-491/202-22 दिनांक 28-10-2021 द्वारा यह सूचित किया गया है कि अकदामी द्वारा संस्कृति विभाग एवं उ0प्र0 पर्यटन विभाग के लिये ब्रान्ज /सफेद मार्बल/फाइवर/सीमेण्ट माध्यम की 03/06/08 फीट की मूर्तियों तथा 12.5 व 25 फीट की ब्रान्ज मूर्तियों के निर्माण के संबंध में न्यूनतम दरों पर कलाकारों /फर्मों का इम्पैनलमेन्ट किया गया है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजना के अन्तर्गत **पर्यटन विभाग उ0प्र0 द्वारा विभिन्न ऐतिहासिक/ पौराणिक/धार्मिक स्थलों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमाओं के कार्य** हेतु नामित कार्यदायी संस्था- राज्य ललित कला अकादमी (संस्कृति विभाग) द्वारा गठित किये गये आगणनों एवं तत्क्रम में टेक्निकल बिड के उपरान्त संसूचित किये गये न्यूनतम मूल्य के आधार पर निम्नवत् प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये कुल धनराशि रू0-519.95 लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(रूपये पांच करोड उन्नीस लाख पन्चानवे हजार मात्र) को एतद्द्वारा आपके निवर्तन पर इस शर्त के अधीन नियमानुसार व्यय करने हेतु रखे जाने का आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं कि निदेशालय स्तर से विद्यमान वित्तीय नियमों/व्यवस्थाओं के अधीन वास्तविक लागत के आधार पर धनराशि अवमुक्त की जायेगी एवं यदि कार्यो में कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे नियमानुसार राजकोष में जमा करा दिया जायेगा तथा इस निमित्त वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनाँक : 22 मार्च, 2021 में प्राविधानित व्यवस्था के आधार पर धनराशि अवमुक्त कर प्रदत्त की जायेगी :-

क्रमांक	प्रतिमा का विवरण	प्रस्तावित न्यूनतम लागत	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृ त लागत
1	2	4	5
1	**जनपद प्रयागराज के श्रंगवेरपुर धाम में भगवान श्री राम एवं गुहराजा निषादराज के गले मिलते हुये 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा**	**न्यूनतम रू0-4.70 करोड.**	**रू0-2.00 करोड.**
2	**नपद बहराईच में चित्तौरा झील के निकट महाराजा सुहेलदेव की अश्वारोही ब्रान्ज प्रतिमा (40 फीट) का निर्माण**	**न्यूनतम रू0-4.70 करोड.**	**रू0-2.00 करोड.**
3	**जनपद चित्रकूट में लालापुर में बाल्मीकि आश्रम में महर्षि बाल्मीकि की बैठी हुई 12.5 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का निर्माण**	**न्यूनतम रू0-19.95.लाख.**	**रू0-19.95.लाख.**
4	**जनपद महोबा में गोरखगिरि हिल पर 51 फीट ऊंची गुरू गोरखनाथ जी की कांस्य प्रतिमा का निर्माण**	**न्यूनतम रू0-3.40 करोड**	**रू0-1.00 करोड**
.कुल योग			**. रू0-519.95 लाख**

4- प्रस्तर-3 में निर्वतन में रखी गई धनराशि को व्यय करने से पूर्व निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) निवर्तन पर रखी रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 , शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 , शासनादेश सं0-6/ 2020/ बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 /शासनादेश संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021-231/2020 दिनांक 20 जनवरी 2021 एवं वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनाँक : 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(2) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्थाओं को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में ***प्रामाणिक प्रपत्र -जी0एस0टी0 इन्वायस*** सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च 2021 के प्रस्तर-2(9) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्थाओं की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्थाओं से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना के कार्यों को कराये जाने हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12)) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्थाओं से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

5- प्रस्तर-3 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास- 24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-2246/दस-2021 दिनांक 29.11.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- संबंधित जिलाधिकारीगण ।
4- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन लखनऊ। ।
5- निदेशक संस्कृति विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
6- सचिव राज्य ललित कला अकादमी उ0प्र0 लखनऊ।
7- निजी सचिव प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग उ0प्र0 शासन।
8- श्री दिनेश कुमार उप निदेशक पर्यटन निदेशालय लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10- प्रबंध निदेशक ,उ0प्र0 आवास विकास परिषद ,लखनऊ।
11- परियोजना प्रबंधक उ0प्र0 आवास विकास परिषद प्रतापगढ।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
13- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी ,प्रयागराज ।
14- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
15- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in